

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0-2, उन्नाव

श्रीमती राज कुमारी.....बनाम.....मान सिंह यादव आदि।

दिनांक- 09.07.2026

आज यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पेश हुआ। वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रार्थना-पत्र के हासिये पर बल न दिये जाने का अंकन किया गया।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल न दिये जाने के कारण प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. श्रीमती राज कुमार बनाम मान सिंह यादव आदि बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दि. 09.07.2026

विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2
उन्नाव।